

**सहायक कुलसचिव परीक्षा—2022**  
वैकलिस्ट

अनुक्रमांक .....

क्र०	प्रमाण पत्रां/ अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र	
02	ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र	
03	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या—02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या—03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या—04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
06	हाईस्कूल प्रमाण—पत्र	
07	हाईस्कूल अंकतालिका	
08	इण्टरमीडिएट प्रमाण—पत्र	
09	इण्टरमीडिएट अंकतालिका	
10	स्नातक उपाधि	
11	स्नातक की अंकतालिकाएं	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र। (एस०सी०/एस०टी०/ओ०बी०सी०/ई०डब्लू०एस०) (यदि लागू हो)	
13	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण—पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/दिव्यांग जन/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे) (यदि लागू हो)	
14	स्थायी निवास प्रमाण—पत्र। (यदि लागू हो)	
15	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें,	

	कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है। (यदि लागू हो)
16	अभ्यर्थी जिस सरकारी सेवा में कार्यरत है, उस सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र की मूल प्रति।
17	सरकारी कार्यालय अथवा किसी विश्वविद्यालय में हिन्दी तथा अंग्रेजी में पत्र लेखन तथा लेखा नियमों का कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र (आयोग द्वारा विज्ञापन में उपलब्ध कराये गये प्रारूप <u>परिशिष्ट-03</u> पर ही उपलब्ध कराया जायें)।
18	यदि अभ्यर्थी के नाम/पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।
19	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित फोटोग्राफ।
20	फोटो युक्त पहचान पत्र

नोट—यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु यथावांछित उपर्युक्त शर्तें पूरी नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा० आयोग अंक—तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण—पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक—तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण—पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण—पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण—पत्र के स्थान पर दिखाना होगा।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....  
 अभ्यर्थी का नाम.....  
 दिनांक .....